न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 05/2019

अपीलांट्स–

1. हडुमानराम पुत्र लच्छाराम
2. रामाराम पुत्र लच्छाराम
3. अमरूदेवी पत्नी लच्छाराम
   जाति जाट निवासी चवानाडा (कोसरिया) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. सताराम पुत्र पूनमाराम
2. भैराराम पुत्र पूनमाराम
3. दूदाराम पुत्र पूनमाराम
   जाति जाट निवासी चवानाडा (कोसरिया) तहसील बायतु जिला बाड़मेर
4. सिरामा उर्फ श्रीराम पुत्र रूपाराम
5. धाई पत्नी रूपाराम
   जाति जाट निवासी टांकेलियासरा, कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक शिविर/2013/2018 दिनांक 09.02.2013 जो ग्राम चवानाडा के खसरा नम्बर 80/317 रकबा 112–00 बीघा, एवं ग्राम कोसरिया के खसरा नम्बर 465/246 रकबा 45–13 बीघा के विभाजन हेतु तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री रिणछाराम सियाग, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 2 से 5 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 6 प्रोफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 02.02.2021

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 09.02.2013 के विरूद्ध पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.05 12:10:20 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा चवानाडा के खसरा नंबर 80 / 317 रकबा 112–00 बीघा एवं मौजा टांकेलियासर के खसरा नंबर 465 / 246 रकबा 45–13 बीघा के खातेदारान सिरामा उर्फ श्रीराम पुत्र रूपाराम, मुस्मात धाई पत्नी रूपाराम, सताराम, लच्छाराम, दूदाराम, भैराराम पि0 पूनमाराम जाति जाट साकिन देह ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.01.2013 को तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी कोसरिया द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2018 दिनांक 09.02.2013 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश एवं इसके क्रम में की गई तरमीम को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.02.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स सं. 2 से 5 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश दिनांक 09.02.2013 पारित करने मे भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलकर्ता एवं रेस्पोडेंट सं. 1 से 5 के पूर्वजों के नाम संयुक्त कब्जा–काश्त एवं रहवासी ढाणियां, बाड़े, कुए, टांके, माठ आई हुई होने से सभी खातेदारों का पृथक से कोई हिस्सा खोला हुआ नही था, किन्तु मौके पर बाहमी तौर से भाई बंट अनुसार बंटवारा कर काबिज थे। संयुक्त खातेदारी की भूमि का सभी खातेदारों ने सहमति से विभाजन करवाना तय किया गया। अपीलांट्स भोले–भाले अनपढ़ व्यक्ति हैं जिन्हें

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.05 12:10:20 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय अपर कलक्टर (बाड़मेर स्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 ने वादग्रस्त खेतों का एकपक्षीय विभाजन करवाने की नीयत से पेंशन स्वीकृत करवाने का कहकर तहसील कार्यालय लेकर गये तथा अंगुष्ठ निशान वादग्रस्त भूमि के सहमति विभाजन पर धोखे से करवा लिये। तहसीलदार ने पटवारी से कब्जा काश्त व मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब नहीं की जो कि बंटवाडा आदेश जारी करने से पूर्व आज्ञापक प्रक्रिया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के मध्य पूर्व में हुये बाहमी बंटवाडे अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है जिसके कारण अपीलांट्स की ढ़ाणी, बाड़े आदि उत्तरदातागण के कब्जे में चले गये हैं। अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स की अनुपस्थिति में धोखाधड़ी पूर्वक एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट्स को रेस्पोडेंट द्वारा छल–कपट कर गलत एवं धोखे से कराये गये बंटवाडा का ज्ञान होने नही दिया तथा अपीलांट्स भी इसी विश्वास मे अपने कब्जा–काश्त की भूमि एवं रहवासीय ढाणियों मे शांतिपूर्वक निवास करते आ रहे थे। अरसा एक माह पूर्व अपीलांट्स ने भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु सेडा पडौसी के रूप में नेखमबंदी नोटिस प्राप्त हुये तब अपीलांट्स को अपने हक–हकूक संशयप्रद लगे तब तहसील कार्यालय में जाकर पता किया तथा अरसा पांच दिन पूर्व जानकारी हुई। इस पर सम्यक तत्परता से यह अपील जानकारी होने की तिथी से अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है जो उल्लेखित आधार पर विलम्ब को क्षमा कर स्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन विभाजन आदेश को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

5. रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अपीलांट्स के पिता लच्छा एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 द्वारा तहसीलदार बायतु के समक्ष उपस्थित होकर अपनी स्वतंत्र सहमति के द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन समझौता पत्र प्रस्तुत किया। विभाजन पत्र के संलग्न बंटवाडा का नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया जिसमें पक्षकारों के हिस्से में आने वाली भूमि की प्रस्तावित तरमीम दर्शाई गई थी। अपीलांट्स के पिता ने तहसीलदार से समक्ष स्वयं उपस्थित होकर बंटवाड़े की सहमति प्रदान की गई थी जिसे उन्होंने अपने जीवनकाल में भी अस्वीकार नहीं किया। सभी पक्षकारान माफिक विभाजन मौके पर [illegible] तथा अपने–अपने हिस्से में आई भूमि पर शांतिपूर्वक [illegible] अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर है [illegible] होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.05 [illegible]:10:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा चवानाडा के खसरा नंबर 80 / 317 रकबा 112–00 बीघा एवं मौजा टांकेलियासर के खसरा नंबर 465 / 246 रकबा 45–13 बीघा के खातेदारान सिरामा उर्फ श्रीराम पुत्र रूपाराम, मुस्मात धाई पत्नी रूपाराम, सताराम, लच्छाराम, दूदाराम, भैराराम पि0 पूनमाराम जाति जाट साकिन देह ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.01.2013 को तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी कोसरिया द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2018 दिनांक 09.02.2013 पारित किया गया। इस विभाजन इकरारनामा मे भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नही करवाई गई। हल्का पटवारी की ओर से मात्र राजस्व अभिलेख मे सह खातेदारी होने एवं लगान का सही विवरण होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार बायतु द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्य अनुसार उनके कब्जे काश्त की भूमि रेस्पोडेंट के हिस्से मे अंकित कर दी है। अपीलांट्स द्वारा प्रकट इस तथ्य की जांच हेतु तहसीलदार बायतु से मौका कब्जा की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बायतु ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.01.2021 के संलग्न मौका फर्द दिनांक 25.01.2021 भिजवाते हुए अवगत कराया है कि ग्राम चवानाडा के खसरा नंबर 80 / 317 के विभाजन खसरों में पक्षकारान का मौका कब्जा नजरी नक्शा परिशिष्ट–बी के अनुसार है जबकि लट्ठा ट्रेस मे तरमीम नक्शा परिशिष्ट–ए अनुसार अं[illegible] है जिसकी तरमीम दुरूस्त होने पर रकबा बराबर होगा। मौके पर फर्द पढ़कर उपस्थित पक्षकारों को सुनाई गई जिसके सही होने पर हस्ताक्षर किये गये। इस प्रकार मौके पर की गई पैमाईश एवं जांच अनुसार यह भली–भांति साबित है कि अपीलाधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.05 12:10:20 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

विभाजन आदेश वास्तविक कब्जे–काश्त अनुसार नही किया गया है। यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट्स की सहमति से निष्पादित होना अभिलेख पर है किन्तु इस विभाजन के फलस्वरूप पक्षकारान के बीच नक्शे में तरमीम सही नहीं होने से कब्जे–काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नही करने से उक्त विभाजन के संलग्न विभाजन नक्शा दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 09.02.2013 के भाग प्रस्तावित तरमीम नक्शा को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बायतु को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन नक्शा स्वीकृत कर तरमीम का अंकन करने की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.05 12:10:20 IST
Reason: SelfAttested